न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–117/2011–12

श्री प्रदीप कुमार जैन

बनाम

राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल।

बावत

मौजा सेन्ट्रल होप टाउन, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी विद्वान उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा मूल वाद संख्या–47/2005–06 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम प्रदीप कुमार जैन में पारित आदेश दिनांक 18–11–2005 के अमल दरामद हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10–06–2005 पर परवाना अमल दरामद के आदेश पारित न किये जाने के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 18–11–2005 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 02–06–2003 जिससे प्रार्थी की भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन तत्पश्चात प्रार्थी की भूमि का अमल दरामद बदस्तूर राज्य सरकार के नाम दर्ज चली आ रही है, जिसके अमल–दरामद हेतु उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक अवर न्यायालय द्वारा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया है और अभी भी राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज चली आ रही है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह भी कथन था कि राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज चले आने के फलस्वरूप उन्हें आशंका है कि राज्य सरकार विवादित भूमि को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को आवंटित कर सकती है। अतः उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने के आदेश पारित किया जाय।

राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री एल0डी0 थपलियाल का कहना है कि अवर न्यायालय द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 02–06–2003 निरस्त कर वाद पत्रावली को आपत्ति/साक्ष्य हेतु नियत की गई है तथा वाद अभी अवर न्यायालय में विचाराधीन है, अतः वाद के अन्तिम निस्तारण तक यदि निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं किया जाता है तो इससे वाद की कार्यवाही में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद अभी तक अवर न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। वाद के अन्तिम रूप से गुण–दोष के आधार पर निस्तारित होने के फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार अमल–दरामद किया जायेगा। जहाँ तक निगरानीकर्ता का यह कथन कि राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रहने के

फलस्वरूप राज्य सरकार इस भूमि को किसी संस्था/व्यक्ति के नाम आवंटित कर सकती है तो इस सम्बन्ध में यह आदेश पारित किये जाते है कि विवादित भूमि को मूल वाद के निस्तारण तक किसी अन्य तृतीय पक्ष को विक्रय/आवंटित करने से निषिद्व किया जाता है तथा प्रकरण अवर न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अवर न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुण–दोष के आधार पर 03 माह अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित करे तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल–दरामद अंकित करें।

निगरानी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

दिनांकः 08 ~~दिसम्बर, 2014~~ जनवरी-2015

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।